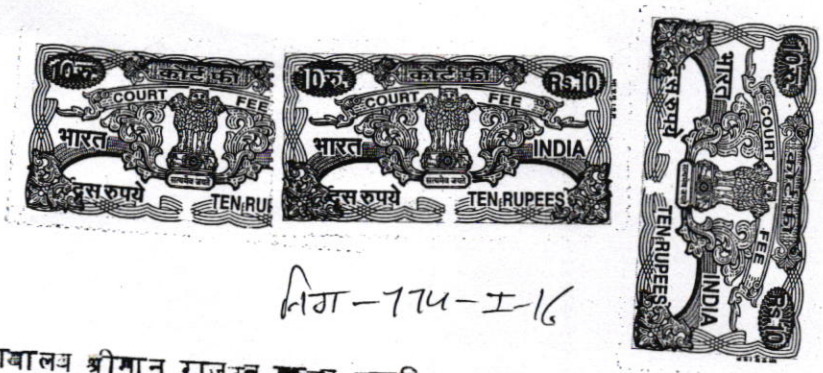

निग-114-I-16

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

आमिरखां पुत्र उमरावखां जाति
मुसलमान निवासी ग्राम बनवा तहसील
बासौदा जिला विदिशा म० प्र०
---- रिवीजनकर्ता

बनाम

1- शासन म० प्र० जर्ये तहसीलदार महोदय बासौदा
2- शासन म० प्र० जर्ये अनुविभागीय अधिकारी
महोदय बासौदा

---- प्रतिरिवीजनकर्ता

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू रा० संहिता खिलाफ आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय बासौदा प्र० क्र० 57/अपील/14-15 आदेश दिनांक 24-2-2016 बमामले आमिरखां बनाम शासन म०प्र० ग्राम बनवा /

दि. 3.3.16 को श्री ... अभि. द्वारा प्रस्तुत
3-3-16

03/03/16

श्रीमान महोदय,

रिवीजन के तथ्य इस प्रकार हेकि ग्राम बनवा तहसील बासौदा की आराजी क्रमांक 75/1/1/ख एवं 75/2 कुल रकबा 1.652 हे० के अंश भाग 1.400 हे० के सम्बंध मे ग्राम पटवारी द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि आवेदक का उक्त रकबा पर मकान बना है । एवं शेष रकबा पर कब्जा काफी लम्बे समय से चला आ रहा है । एवं उसी मकान मे निवास करता चला आ रहा है । प्रतिवेदन पेश करने के उपरान्त तहसीलदार महोदय ने आवेदक को धारा 248 भू रा० सं० का नोटिस जारी कर दिया । रिवीजनकर्ता ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया बगैर साक्ष्य लिये तहसीलदार महोदय ने आवेदक को अतिक्रामक मानकर आवेदक को प्रतिवेदन के आधार पर बेदखली का आदेश पारित कर दिया एवं अर्थदण्ड आरोपित कर दिया जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के यहां अपील पेश की साथ ही एक आवेदन पेश किया कि तहसीलदार महोदय ने साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर नही दिया है । माननीय न्यायालय मे साक्ष्य का अवसर दिया जाकर साक्ष्य ली जावे शासन ने कोई जवाब नही दिया तर्क उपरान्त अपीलांट का आवेदन निरस्त कर दिया जिससे दुःखी होकर रिवीजन निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

XXIX(a)-BR(H)-11

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-774-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.4.18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के प्रकरण क्रमांक 57/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ग्राम बनवा द्वारा ग्राम बनवा के शासकीय आराजी नं. 75/1/1ख एवं 75/2 कुल रकवा 1.652 हे. के अंश रकवा 1.400 हे. भूमि पर आवेदक द्वारा फसल बोकर एवं पक्का मकान बनाकर कब्जा किए जाने के कारण आवेदक के विरुद्ध धारा 248 के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार बासौदा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 03.06.2015 द्वारा आवेदक को उक्त भूमि से बेदखल किए जाने एवं उसके ऊपर 3,50,000/- रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने के आदेश दिए, जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। जो उनके आदेश दिनांक 24.02.2016 द्वारा आवेदक का धारा-32 का आवेदन निरस्त कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है। 4/ अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं आवेदक द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की गई है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा-32 का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	